प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ....454/22............ दिनांक ......29/11/2022.........

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें .... 7 ....

(ii) अधिनियम.....................भा.द.स.................धारायें..

(iii) अधिनियम.. धारायें..

(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या...............................510..... समय ....1:25 PM.

(ख) अपराध घटने का दिन बुधवार दिनांक :– 06.10.2022 समय ....

(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– सुजानगढ जिला , चूरू

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– पश्चिम दिशा में करीब 90 किलोमीटर

(ब) पता :– ....हरिजन मोहल्ले में बनी स्कुल, सुजानगढ जिला चूरू।

(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री मेघाराम

(ब) पिता/पति का नाम :– श्री आसुराम

(स) जन्म तिथि/वर्ष :–51 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....

(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय :– ....

(ल) पता :– निवासी वार्ड नं. 59, आई.टी.आई रोड पुलिस थाना सुजानगढ जिला चूरू।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1–श्री उदयसिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह, निवासी ग्राम सलमपुर पुलिस थाना सलमपुर जिला दौसा हाल वरिष्ठ प्रारूपकार (कनिष्ठ नगर नियोजक), नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.......................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 35,000 रूपये ....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

हालात मुकदमा इस प्रकार है कि ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री नम्बरों पर प्रेषित शिकायत पर मुख्यालय के निर्देशानुसार दिनांक 04.10.2022 को समय करीब 3.30 पीएम पर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता परिवादी श्री मेघाराम के मोबाईल नम्बर 9828976879 पर कॉल करने पर परिवादी ने नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू के श्री उदयसिंह कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के चाहेनुसार दिनांक 06.10.2022 को समय 8.00 एएम पर कार्यालय के श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से कस्बा सुजानगढ में सम्पर्क कर परिवादी को टेप चालू कर सुपुर्द करने तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का

सत्यापन करवाने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

दिनांक 06.10.2022 को समय 6.00 पीएम पर श्री मूलचन्द कानि. ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि'' कस्बा सुजानगढ में मेरे आवासीय मकान का पट्टा बनवाने हेतु पत्रावली तैयार कर दिनांक 24.11.2021 को नगरपरिषद सुजानगढ में जमा करवाई थी। मेरे उक्त मकान के पट्टे के संबंध में नगरपरिषद सुजानगढ का कर्मचारी उदयसिंह मौका देखने मेरे घर आया तब उसने मेरे से 40,000 रूपये रिश्वत देने की कही, मै उसे रिश्वत देना नहीं चाहता उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 6.10.2022'' श्री मूलचन्द कानि. ने मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि '' कस्बा सुजानगढ में पहूँच मैने परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी के साथ हरिजन मौहल्ले में बनी स्कूल के पास पहूँच मैने टेप रिकार्डर मय मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के स्कूल से बाहर आने पर टेप रिकार्डर को वापिस प्राप्त कर लिया।'' कानि. ने बताया कि परिवादी ने कल दिनांक 07.10.2022 को अभियान के दौरान स्कूल पर ही आरोपी को रिश्वत देने की कही है। टेप रिकार्डर को सुना गया तो मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप से परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी द्वारा कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

दिनांक 07.10.2022 को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सीकर के पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक के उपस्थित कार्यालय आने पर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मौतवीरान श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री राजेश कुमार लिपिकगण, कार्यालय स्टॉफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड तथा श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया जाकर जरिये प्राईवेट वाहनों के सीकर से रवाना होकर सुजानगढ से पहले सालासर रोड पर स्थित बोबासर प्याऊ के पास पहूँचा जहॉ पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी मेघाराम अपनी मोटरसाईकल सहित उपस्थित मिला।

मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने दिनांक 06.10.2022 को श्री मूलचन्द कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये आरोपी श्री उदयसिंह कर्मचारी नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू से पूर्व का कोई उधार लेनदेन एवं आपसी रंजिश से ईन्कार करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी मेघाराम का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी मेघाराम ने हिदायत देने पर आरोपी उदयसिंह कर्मचारी नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले दो–दो हजार के 5 नोट एवं पांच–पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल 35,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द पेशकसी में अंकित करवाकर तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री दलीप कुमार कानि. नं 10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री राजेश कुमार से परिवादी श्री मेघाराम की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 35,000 रूपयों के

नोट श्री दलीप कुमार कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को ईशारा करने की मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री दलीप कुमार कानि. से वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाई गई। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री मेघाराम को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री दलीप कुमार कानि. को वाहन में ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर समय करीब 11.20 एएम पर परिवादी को आरोपी उदयसिंह की मौजूदगी का पता लगाने की कहने पर परिवादी ने बताया कि मेरे पास उदयसिंह के मोबाईल नम्बर नहीं उसने मुझे स्कूल जहॉ प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा वहॉ पर ही आने की कही है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी को साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों एवं मोटरसाईकल से रवाना होकर कस्बा सुजानगढ में हरिजन मौहल्ला स्थित 6 नम्बर स्कूल के पास पहॅूच परिवादी को उसकी मोटरसाईकल से आरोपी की तरफ रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के स्कूल के आस–पास परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

तत्पश्चात समय करीब 01.25 पीएम पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि ''स्कूल के पास बने हॉल जिसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया गया है, वहॉ पहॅूचकर मैने श्री उदयसिंह का पता किया तो वहॉ नहीं मिला जिस पर मैने उसके आने का इन्तजार किया कुछ समय पश्चात उदयसिंह के आने पर मैने अपने काम के बारे में वार्ता करते हुये रिश्वती राशि देना चाहा तो उसने पहले तो इधर–उधर देखा फिर हॉल से बाहर आकर मुख्य रास्ते की तरफ देखकर मुझे कहा कि आप जावो मै आपसे बाद में मिल लूॅगा।'' परिवादी ने बताया कि शायद उसको मेरे पर शक हो गया है। परिवादी ने आईन्दा अग्रिम कार्यवाही करवाने की कही, जिस पर परिवादी से टेप रिकार्डर एवं रिश्वती राशि प्राप्त कर परिवादी को साथ लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के सुजानगढ से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहॅूचा।

तत्पश्चात परिवादी मेघाराम द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.10.2022 को आरोपी श्री उदयसिंह कर्मचारी नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी मेघाराम ने स्वंय की व आरोपी श्री उदयसिंह कर्मचारी नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी मेघाराम द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 07.10.2022 को आरोपी श्री उदयसिंह कर्मचारी नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो

के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी मेघाराम ने स्वंय की व आरोपी श्री उदयसिंह कर्मचारी नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू की आवाजों की पहचान की। बाद कार्यवाही उपरोक्त परिवादी ने आईन्दा अग्रिम कार्यवाही करवाने की कही जिस पर परिवादी एवं गवाहान को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 13.10.2022 को परिवादी मेघाराम उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि "मैने कल दिनांक 12.10.2022 को छापर रोड पर खत्री होटल के सामने लगे प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैम्प में गया जहॉ उदयसिंह कर्मचारी नगरपरिषद सुजानगढ मौजूद मिला जिससे मैने अपने काम के बारें में बातचीत की तो उसने कहा कि आपका काम हो जायेगा, आप तो मेरे लिये दूआ करना।" परिवादी मेघाराम ने बताया कि उदयसिंह कर्मचारी को मेरे पर शक हो गया है अब वह मेरे से रिश्वत नहीं लेगा। परिवादी ने यह भी बताया कि मैने अपने स्तर पर उदयसिंह कर्मचारी का पता किया तो उसका पद एटीपी (सहायक नगर नियोजक) नगरपरिषद सुजानगढ है। परिवादी ने अपने द्वारा पूर्व में प्रेषित रिश्वती राशि के नोट लौटाने की कही, जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि के नोट 35,000 रूपयो पाउडर मुक्त कर परिवादी को जरिये रसीद पृथक से सुपुर्द किये गये। बाद कार्यवाही परिवादी को रूखसत किया गया।

ऐसी स्थिति में आरोपी श्री उदयसिंह एटीपी (सहायक नगर नियोजक) नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी मेघाराम के कथन कि " **नही वो काम तो मेरा सौ परसेंट होगा ना" जिस पर आरोपी उदयसिंह के कथन कि " करवा दुगा जी आप विश्वास करो,** करवा दुगा जी मै। आप है ना सुबह आ जाना" तब परिवादी ने कहा कि " **जी पेतीस हजार रुपये" तब आरोपी के कथन कि " चल ठीक है,** यही मिलुगा" आदि कथनों से आरोपी श्री उदयसिंह एटीपी (सहायक नगर नियोजक) नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू द्वारा परिवादी श्री मेघाराम से रिश्वत मांग की पृष्टि होती है।

उपरोक्त की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपी श्री उदयसिंह वरिष्ठ प्रारूपकार (कनिष्ठ नगर नियोजक) नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी मेघाराम का उसके सुजानगढ स्थित आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिये परिवादी से 35,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग की गई है, हालांकि मांग के अनुसार आरोपी वरिष्ठ प्रारूपकार (कनिष्ठ नगर नियोजक) नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू को परिवादी पर शक होने के कारण रिश्वती राशि प्राप्त नहीं की है। आरोपी श्री उदयसिंह एटीपी (सहायक नगर नियोजक) नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री उदयसिंह, वरिष्ठ प्रारूपकार (कनिष्ठ नगर नियोजक) नगरपरिषद सुजानगढ जिला चूरू के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री उदयसिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह, वरिष्ठ प्रारूपकार (कनिष्ठ नगर नियोजक), नगर परिषद सुजानगढ़, जिला चूरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 454/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.11.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3922-25 दिनांक 29.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

29.11.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।